

भाग-1



**आवासीय भूखंडों पर बन
रहा अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स!!!**

जे.डी.ए. ज़ोन-1 में भूखंड संख्या डी-673, डी-674 मालवीय नगर के आवासीय भूखंडों को बिना एकीकरण करवाए, बिना नक्शे पास करवाए, बन रहे अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का है मामला!!!

		प्रथम सूचना रिपोर्ट
1.	भूखंडो का पता	भूखंड संख्या-डी-673,डी-674 मालवीय नगर जयपुर
2.	संचालित गतिविधि	व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स
6.	उल्लंघन की संभावित प्रकृति	बिना पुनर्गठन,बिना अनुमति बिना सेटबैक छोड़े अवैध व्यवसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण
7.	सम्बंधित ज़ोन	जे.डी.ए. ज़ोन-1
8.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी(प्रवर्तन स्तर पर)	प्रवर्तन अधिकारी;श्री उदयभान
9.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	24/11/2020

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या भवन मालिक द्वारा उक्त प्लोटों का विधिवत पुनर्गठन करवा लिया गया है?
2. क्या भवन मालिक द्वारा जे.डी.ए. से इस भूखंड का मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया गया है?
3. क्या भवन मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडों का पालन किया जा रहा है?
4. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
5. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड का यू.डी. टेक्स जमा करवा दिया गया है?
6. माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिस जे.डी.ए./नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठा चुके है और उन्हें सार्वजनिक मंच पर कहना भी पड़ा कि जे.डी.ए. के अधिकारी ले-देकर पास-पास की ही एक बिल्डिंग को तो तोड़ देते है और एक को छोड़ देते है,क्या उनका यह सवाल जायज है?
7. हमारे द्वारा यह मामला जे.डी.ए. के आला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बावजूद, यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है और बिल्डिंग के अवैध निर्माण को आंच नहीं आती तो क्या जे.डी.ए. के जिम्मेदार अधिकारियों का यह आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है?
8. क्या जे.डी.ए. के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार; में दिए गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?
9. क्या इस भूखंड पर हो रहे अवैध निर्माण की आज तक किसी जागरूक नागरिक द्वारा शिकायत नहीं की गयी है?या फिर उस सभी शिकायतों को दबा दिया गया है?